छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 514/2009

1.	श्री सुजीत शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता/पत्रकार, शांति नगर, दुर्ग रोड़ बेमेतरा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–सिलघाट तहसील–बेरला जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//आदेश//
(दिनांक 06 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुजीत शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–सिलघाट के समक्ष दिनांक 17.01.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.02.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2009 को आदेश पारित कर एक सप्ताह में जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसके बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.04.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और चूंकि प्रति अपीलार्थी सचिव सूचना के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये थे, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 12.08.2009 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देने के कारण विलंब के लिए सचिव, ग्राम पंचायत को बीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था और साथ ही निर्देश दिये गये थे कि इस बीच संबंधित रिकार्ड का 10 दिवस में निःशुल्क अवलोकन कराया जावे और विस्तृत जानकारी होने के कारण उनसे सूची प्राप्त कर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक 30.09.2009 को न तो सचिव उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया गया। प्रकरण में अपीलार्थी ने मौखिक तर्क में बताया कि उन्होंने अभी–तक आयोग के पूर्व आदेश के पालन में न तो निरीक्षण कराया है और न ही कोई जानकारी दी गई है। अतः उपरोक्त स्थिति में सचिव, ग्राम पंचायत, सिलघाट विलंब के लिए दोषी पाये जाते हैं। चूंकि उनका रवैया सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति अत्यन्त लापरवाहीपूर्ण भरा है और यहॉ तक कि उन्होंने आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा और न ही आयोग के निर्देशों का पालन किया। अतः अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन्हें दोषी पाया जाता है, किन्तु वे अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए उन पर दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही धारा–20(2) के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेरला को उक्त सचिव के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है तथा उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने समक्ष सचिव एवं अपीलार्थी को बुलाकर आयोग के पूर्व निर्देशानुसार रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करावे और पूर्व आदेशानुसार जानकारी प्रदान करें। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com